

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) बांसवाडा (राज.)

क्रमांक एफ 1()रसद/प्राधिकार/2026/241

दिनांक:-10.07-2026

पुनःविज्ञप्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 की पालना में बांसवाडा जिले की 15 रिक्त एवं 01 नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का आवंटन करने के लिए पात्र आवेदको से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

योग्यता:-

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डस में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जाएगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदको की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य की दुकानों के आवेदको में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदको के प्रार्थना-पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी ली जावेगी कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा वह ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार-पत्र दिया जावेगा।
3. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा-स्वामित्व-किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें 06 माह में मापदण्ड पूर्ण किए जाने का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि घोषणा-पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किए जाते हैं, तो प्राधिकार-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

4. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 02 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार-पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जावेगा।
5. राज्य सरकार द्वारा टीएसपी क्षेत्र हेतु 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति, 05 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति एवं 50 प्रतिशत स्थान अनारक्षित रखे जाने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे गए हैं। आरक्षित उचित मूल्य दुकानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही आवेदन हेतु पात्र होगा।
6. एक ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को एक उचित मूल्य की दुकान के लिए ही प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है, वे आवेदन हेतु पात्र नहीं होगा।

आवेदन का तरीका :-

1. आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2026 से 31.07.2026 तक कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय बॉसवाड़ा से प्राप्त किए जा सकेंगे एवं भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 03.08.2026 को साय 06:00 बजे तक जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
2. आवेदन पत्र का मूल्य 100 रुपये निर्धारित किया गया है, जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) के द्वारा जमा करवाया जा सकेगा। किसी अन्य स्थान यथा टाइपिस्ट, नोटरी, बुक स्टॉल से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

1. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र। उक्त प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के 08 माह के भीतर आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) का 03 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
3. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में उसके प्रबंधक/सचिव की शैक्षणिक योग्यता/कम्प्यूटर दक्षता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशप्ता का पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. निजी आवेदकों के लिए 01 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण-पत्र जो संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा।

6. महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रुपये होने संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति।
7. प्रस्तावित दुकान का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) दो प्रतियों में।
8. निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र।
9. मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
10. जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
11. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।
12. राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति।
13. मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।
14. पासपोर्ट साईज के 03 नवीनतम फॉटो, जिनमें एक आवेदन पत्र पर चस्पा किया जावेगा एवं दो संलग्न किये जावेंगे।

चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :-

आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही पात्र होगा। अनारक्षित (सामान्य) स्थानों में चयन करने में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा:-

प्रथम वरीयता :-

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है।
2. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को 03 वर्ष का कार्यानुभव हो।
3. ग्राम पंचायत/निगमित निकाय।

द्वितीय वरीयता :-

1. बेरोजगार — (i) निःशक्त जन
(ii) महिलाएं —
(क) शहीद की विधवा (ख) विधवा (ग) परित्यक्ता
2. भूतपूर्व सैनिक
3. अन्य पात्र बेरोजगार

नोट:- आरक्षित श्रेणी की उचित मूल्य की दुकानों के लिए चयन का आधार द्वितीय वरीयता के अनुसार रहेगा। यदि किसी उचित मूल्य की दुकान के लिए एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसे प्राधिकार-पत्र जारी किया जा सकेगा। 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:-

रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	तहसील	उचित मूल्य दुकान का नाम	ग्राम पंचायत	एफपीएस कोड	श्रेणी
1	बॉसवाड़ा	कुंवाला विथ वाटा भाग-द्वितीय	भटवाड़ा	6180	अनारक्षित (महिला)
2	न.प. बासवाड़ा	न. प. बॉसवाड़ा वार्ड 20	न. प. बॉसवाड़ा वार्ड 20	17861	अनारक्षित (महिला)
3		न. प. बॉसवाड़ा वार्ड 4	न. प. बॉसवाड़ा वार्ड 4	17830	अनारक्षित
4		न. प. बॉसवाड़ा वार्ड 31	न. प. बॉसवाड़ा वार्ड 31	17884	अनुसूचित जनजाति (महिला)
5		न. प. बॉसवाड़ा वार्ड 17	न. प. बॉसवाड़ा वार्ड 17	17857	अनुसूचित जनजाति
6		न. प. बॉसवाड़ा वार्ड 30	न. प. बॉसवाड़ा वार्ड 30	17881	अनारक्षित
7		न. प. बॉसवाड़ा वार्ड 37	न. प. बॉसवाड़ा वार्ड 37	17906	अनुसूचित जनजाति (महिला)
8		नगर परिषद वार्ड 07	नगर परिषद वार्ड 07	17837	अनारक्षित (महिला)
9		नगर परिषद वार्ड 28	नगर परिषद वार्ड 28	17879	अनारक्षित
10		न. प. बॉसवाड़ा वार्ड 29	न. प. बॉसवाड़ा वार्ड 29	17880	अनुसूचित जाति
11		भीमपुर भाग-प्रथम	भीमपुर	6038	अनुसूचित जनजाति
12	गढी	न.पा. परतापुर	न.पा. परतापुर वार्ड 15	12652	अनुसूचित जनजाति (महिला)
13	अरथुना	बिलोदा भाग-द्वितीय	बिलोदा	12668	अनुसूचित जनजाति (महिला)
14	गनोडा	जगपुरा भाग-तृतीय	सोनामगरी	12866	अनारक्षित
15	सज्जनगढ़	कसारवाडी भाग-प्रथम	कसारवाडी	6375	अनारक्षित (महिला)
16	कुशलगढ़	वरसाला भाग-प्रथम	वरसाला (नवसृजित)	—	अनुसूचित जाति

आवेदन 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जमा कर जिला रसद कार्यालय से दिनांक ~~10.07.2026~~ से ~~31.07.2026~~ तक प्राप्त किए जा सकते हैं एवं दिनांक ~~31.07.2026~~ को सांय 06:00 बजे तक जिला रसद कार्यालय बॉसवाड़ा में जमा किए जा सकते हैं। आवेदन की शर्तों, शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय बांसवाड़ा, उपखण्ड कार्यालयों, विभागीय वेबसाईट www.food.rajasthan.gov.in एवं जिले की वेबसाईट www.banswara.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

नोट :- यह जारी पुनः विज्ञप्ति, दिनांक 11.09.2025 को जारी विज्ञप्ति क्रमांक 179 के अनुक्रम में नियुक्ति से शेष रही उचित मूल्य दुकानों पर की गई है। अतः तत्समय वार्डों एवं पंचायतों के आधार पर ही विज्ञप्ति अनुसार ही आवेदन लिये जायेंगे।


जिला कलेक्टर (रसद)
बॉसवाड़ा

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर।
3. एसीपी महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. उपखण्ड अधिकारी महोदय,
बांसवाडा / घाटोल / छोटीसरवन / कुशलगढ / सज्जनगढ / बागीदौरा / आनन्दपुरी / गढी।
5. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बांसवाडा को प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. सहायक निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग बांसवाडा को जिले के वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।



जिला रसद अधिकारी
बांसवाडा